



2026:AHC:50924

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9221 वर्ष 2026

बिंदा देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: नरेंद्र कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के तहत दायर अपील संख्या 1108/ए/2025 (कंप्यूटर केस संख्या सी202515000002866) (धीरज बनाम बिंदा देवी और अन्य) का शीघ्रता से निपटारा करे।
4. यह मामला काफी लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है, और काफी समय बीत चुका है; परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अपील का निस्तारण **विधि के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः** प्रमाणित प्रति के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

WRIC सं.9221/2026

2

प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **चार माह की अवधि के भीतर** करें, परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

12 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।